

प्र.का. 7, भीखाएजी कामा प्लेस,
नयी दिल्ली-110 607
Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place,
New Delhi-110 607

असाधारण आम बैठक
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

दिनांक: बुधवार, 31 अगस्त, 2016
समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे
DATE: WEDNESDAY, THE 31ST AUGUST, 2016
TIME : 10.00 A.M.

स्थान :
पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम,
केन्द्रीय स्टॉफ कॉलेज
8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

Venue :
PUNJAB NATIONAL BANK AUDITORIUM
CENTRAL STAFF COLLEGE,
8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES,
DELHI-110 054

विषय वस्तु
CONTENTS

पृष्ठ सं.
Page No.

सूचना NOTICE	1-5
व्याख्यात्मक कथन EXPLANATORY STATEMENT	6-8
प्रॉक्सी फार्म PROXY FORM	9-10
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	11

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियाँ
IMPORTANT CALENDER OR EVENTS

असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों के भाग लेने/वोटिंग की पात्रता का पता लगाने के लिए कटऑफ तिथि Cut-off date for ascertaining the entitlement of shareholders for attending the EGM	बुधवार, 24 अगस्त, 2016 Wednesday, 24th August, 2016
ई-वोटिंग की अवधि Period of e-voting	28.08.2016 से 30.08.2016 28.08.2016 to 30.08.2016
प्रॉक्सी फार्मों व प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति का संकल्प जमा करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of Proxy Forms and Resolutions appointing Authorized Representatives	शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 Friday, 26th August, 2016

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607
(email – hosd@pnb.co.in)

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक बुधवार, दिनांक 31 अगस्त, 2016 को पूर्वाह्न 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में सम्पन्न होगी जिसमें निम्नलिखित विशेष मदों पर विचार-विमर्श किया जायेगा :-

1. अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों का निर्गम

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

संकल्प

‘संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **‘योजना’** कहा जायेगा) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 2000 जिसे इसके बाद **‘विनियमन’** कहा जाएगा, के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **‘अधिनियम’** कहा जायेगा) प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक (**आरबी. आई.**), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (**सेबी**) और/अथवा इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2009 (**सेबी आईसीडीआर विनियमन**) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी सम्बद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद इस संकल्प में **‘निदेशक मंडल’** कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो) प्रदान की जाती है कि **निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रु. 126.72 प्रति शेयर नकदी प्रीमियम पर सेबी आईसीडीआर विनियम सं. 76(1) के अनुसरण में अंकित मूल्य प्रत्येक रु. 2/- के 16,40,77,066 इक्विटी शेयर के कुल रु. 2112 करोड़ तक के शेयर भारत सरकार को अधिमान आधार पर सृजित, ऑफर, जारी एवं आबंटन करने हेतु।**

‘यह भी संकल्प किया जाता है कि उक्त वर्णित इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए न्यूनतम कीमत निर्धारण हेतु सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, समय-समय पर संशोधित, अधिमान्य इश्यू के लिए संबंधित तिथि असाधारण आम बैठक से 30 दिन पूर्व 29.07.2016 होगी।

‘यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सूचीबद्ध

Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607
(email – hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Wednesday, the 31st August, 2016 at 10.00 A.M. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi-110054 to transact the following Special business:

1. Issue of Equity Shares on preferential basis

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution(s) as Special Resolution(s):

RESOLUTIONS:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the ‘**Act**’) read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the ‘**Scheme**’) and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the ‘**Regulations**’) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (**RBI**), Government of India (**GOI**), Securities and Exchange Board of India (**SEBI**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**SEBI ICDR Regulations**) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the “**Board**” which shall deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) **to create, offer, issue and allot 16,40,77,066 Equity Shares of face value of ₹ 2/- each fully paid at a premium of ₹ 126.72 per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, amounting upto ₹ 2112 crore (Rupees Two thousand one hundred twelve Crore only) to GOI on preferential basis.**

“RESOLVED FURTHER THAT the **Relevant Date** for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations), as amended from time to time, for the determination of minimum price for the issue of the above mentioned Equity Shares shall be 29.07.2016, being the date 30 days prior to the date of Extraordinary General Meeting.

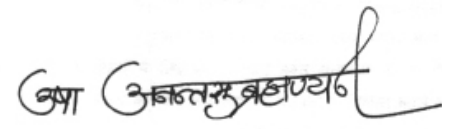
करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकारण द्वारा अपेक्षित अथवा लगाये गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वीकार करें ।

‘यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किए जाने वाले एवं आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में जारी किए जायेंगे एवं ‘सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के अध्याय VII के अंतर्गत अवरुद्धता अवधि की अपेक्षाओं के अधीन होंगे तथा इस संबंध में सेबी द्वारा समय-समय पर ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों/विनियमों/अस्पष्टीकरणों के अनुसार बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ (लाभांश सहित यदि घोषित हो), सभी दृष्टियों से समान माने जायेंगे ।

‘यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है ।

‘यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा यह प्राधिकारी दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपयुक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नेशनल बैंक


(उषा अनंतसुब्रह्मण्यन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30.07.2016

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements as required under Chapter VII of the “SEBI ICDR Regulations” 2009, and shall rank *pari passu* in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines/regulations / notifications / clarifications that are in force at the time of such declaration issued by SEBI in this regard; “

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or Executive Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

**By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank**



**(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO**

Place: New Delhi

Date: 30.07.2016

टिप्पणियाँ :

1. बैंक ने नोटिस प्रेषित करने हेतु कटऑफ तिथि शुक्रवार दिनांक 29 जुलाई 2016 निर्धारित की है। एजेंडा मदों के लिए वोट देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कटऑफ तिथि 24.08.2016 निर्धारित की है।
2. उपर्युक्त बैठक के अलग-अलग नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रॉक्सी फार्म तथा उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पत्र आदि होंगे जिन्हें बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
3. वैध उपस्थिति पर्ची व प्रवेश-पत्र तथा सही पहचान के साथ ही बैठक में प्रवेश दिया जायेगा।
4. बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी की बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म/प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र प्रभावी करने के लिए उसे **कम्पनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001** में बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 26 अगस्त 2016 की समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा करा दी जाये। इस तरह से नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। किन्तु वह ग्रांटर की ओर से बैठक में भाग ले सकता है एवं वोट दे सकता है।
5. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण आम बैठक में तब तक न तो उपस्थित हो सकता है और न ही वोट दे सकता है जब तक जिस बैठक में उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित उस निर्णय की सत्यप्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को न मिल जाये।
6. नोटिस के मद संख्या 1 के संबंध में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न हैं।

7. ई वोटिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है और वे अपने वोट का प्रयोग इलैक्ट्रानिक साधन के द्वारा दे सकते हैं।

नोटिस में दिए गए व्यवसाय को इलैक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली के द्वारा निष्पादित किया गया है तथा इलैक्ट्रानिक माध्यमों से वोटिंग की सुविधा कम्पनी उपलब्ध करा रही है।

8. मतदान प्रक्रिया

इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान

- I) सेबी (सूचीकरण अपेक्षाएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2015 के नियम 20 के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक शेयरधारकों को आगामी एजीएम में विचारणीय सकल्पों पर इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान करने की सुविधा दे रहा है और यह कार्यनिष्पादन नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दिया जा रहा है। सदस्य अपना वोट इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी कर सकते हैं।
- II) वह सदस्य जिसने रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं किया है वह अपना वोट बैठक स्थल एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए (इंस्टा पोल) टैबलेट आधारित इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से

NOTES:

1. The Bank has fixed Friday, the 29th July 2016 as the cut-off date for dispatch of notice. The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise voting for Agenda item is 24.08.2016.
2. Detailed notices of the aforesaid meeting containing, inter-alia, formats of, Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc are also available for downloading from the website of the Bank viz. www.pnbindia.in ([Investors' Info Page](#))
3. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid attendance slip cum entry pass with proper identification.
4. A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank. The Proxy Form/ Authorized Representative Letter, in order to be effective, must be received by the Bank addressed to the **Company Secretary, Share Department, Finance Division, Head Office, 5, Sansad Marg, New Delhi 110 001**, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e 5.00 p.m. on Friday the 26th August, 2016. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
5. No person shall be entitled to attend or vote at the EGM as a duly authorized representative of any body-corporate, which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank.
6. The relevant explanatory Statement in respect of item no.1 set out in the notice is annexed hereto.
7. **Exercise Of Voting Rights Through E-Voting**

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

The business set out in the Notice will be transacted through electronic voting system and the Bank is providing facility for voting by electronic means.
8. **Voting Process**

Voting Through Electronic Means

 - I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing agreement with Stock Exchanges, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at the EGM by electronic means through e-voting platform provided by the National Securities Depository Limited (NSDL). The members may cast their votes using an electronic system from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting')
 - II. The members who have not cast vote through remote e-voting, facility through tablet

बैठक स्थल पर कर सकता है। हस्ताक्षर के साथ डीपीआईडी/ग्राहक आईडी या फोलियो संख्या के सत्यापन के पश्चात ई वोट 'की' बैठक स्थल पर शेयरधारको के पंजीकरण के समय जारी किया जाएगा।

- III) वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट किया गया है बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दोबारा अपना वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- IV) रिमोट ई वोटिंग की अवधि 28.08.2016 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 30.08.2016 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में कट आफ तिथि 24.08.2016 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमेटेरियालाइज्ड रूप में लेखा परीक्षित खाते, रिमोट ई वोटिंग की सुविधा को प्राप्त करने और साथ ही साथ एजीएम में वोटिंग के पात्र होंगे। ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा ईवोटिंग माड्यूल हटा दिया जाएगा।
- V) जिन सदस्यों के ई मेल आईडी बैंक के शेयर अंतरण एजेंड/डिपोजिटरी पार्टिसीपेंट(स) के साथ पहले से ही पंजीकृत है, एनएसडीएल द्वारा एक ई मेल जिसमें रिमोट ईवोटिंग द्वारा वोट डालने के लिए सदस्य के पंजीकृत ई मेल पते पर यूजर आईडी तथा पासवर्ड भेजा जाएगा।
- VI) एनएसडीएल से जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त हुए हैं को सलाह दी जाती है कि वे रिमोट ई वोटिंग के लिए निम्न कदम उठायें:
1. ई-मेल खोलिए तथा पीडीएफ फाइल खोलिए अर्थात 'e-voting.pdf' (मूर्त रूप से धारित शेयरो के मामले में ग्राहक आईडी होल्डिंग है) या फोलियो न. (यदि आपके पास भौतिक रूप में शेयर होल्डिंग है) पासवर्ड की तरह है। सम्बन्धित पीडीएफ में ई वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन है। कृपया नोट करें कि पासवर्ड एक प्रारम्भिक पासवर्ड है।
 2. निम्नलिखित यूआरएल टाईप करके URL:<https://www.evoting.nsdl.com/> पर इंटरनेट ब्राउजर शुरू करें।
 3. "Shareholders" पर क्लिक करें।
 4. मद i) में वर्णित चरणों में यूजर आईडी तथा प्रारम्भिक पासवर्ड की तरह पासवर्ड/पिन डालें। क्लिक लागईन।
 5. पासवर्ड परिवर्तन मेनू दिखाई देगा। अपने पसन्द से आप पुराने पासवर्ड को आप बदल सकते हैं जो कम से कम 8 अंको/कैरेक्टर या इनका मिला जुला रूप होना चाहिए। यह दृढ़तापूर्वक सुझाव दिया जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सावधानी बरतें।
 6. ई-वोटिंग का होम पेज खुलने पर ई-वोटिंग पर क्लिक करे और वोटिंग चक्र को सक्रिय करे।
 7. अपना वोट डालने के लिए "पंजाब नेशनल बैंक" के लिए "ई-वोटिंग ईवेंट नं." (EVEN) चुने।
 8. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार है क्योंकि 'वोट डालने' का पेज खुल गया है।
 9. समुचित विकल्प चुनकर आप अपना वोट डाल सकते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करे और अपने वोट की "पुष्टि" करे।
 10. पुष्टि करने के बाद "सफलता पूर्वक वोट डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
 11. एक बार संकल्प पर अपना वोट डालने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
 12. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जिसे वोट के लिए अधिकृत किया है के पूर्ण हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करने के साथ सम्बन्धित बोर्ड संकल्प/प्राधिकृत पत्र इत्यादि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) प्रारूप में के साथ संवीक्षक को agc.scrutinizer@gmail.com पर भेजना आवश्यक है। जिसकी प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजे।

based electronic voting system (Ínsta Poll') shall be made available at the venue of the Meeting through Ínsta Poll' by NSDL. After verification of DPID/Client ID or Folio No. along with signatures the e-vote key will be issued at the time of registration to shareholders at the venue of the meeting.

- III. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The remote e-voting period begins on 28.08.2016 (9:00 am) and ends 30.08.2016 (5:00 pm). During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 24.08.2016 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the EGM through Insta Poll. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- V. The members whose e-mail id is registered with the Bank's Share Transfer Agent/ Depository Participant(s), an e-mail containing user ID and Password for casting votes by remote e-voting shall be sent by NSDL at the registered e-mail address of the member(s).
- VI. The member(s) who receives an email from NSDL is advised to take the following steps for casting his / her vote by remote e-voting:
 - (i) Open email and open PDF file viz; "e-voting.pdf" (Client ID in case you are holding shares in demat mode) or Folio No. (in case you are holding shares in physical mode) as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.
 - (ii) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
 - (iii) Click on "Shareholder"- Login.
 - (iv) Enter user ID and password as initial password/PIN noted in step (i) above. Click Login.
 - (v) Password change menu will appear. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note/ Remember new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and to take utmost care to keep your password confidential.
 - (vi) Home page of e-Voting opens. Click on e-Voting: Active Voting Cycles.
 - (vii) Select "E-voting event number" (EVEN) of "Punjab National Bank" for casting your vote.
 - (viii) Now you are ready for e-Voting as 'Cast Vote' page opens.
 - (ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
 - (x) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
 - (xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
 - (xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority Letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at agc.scrutinizer@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

13. सदस्य जिसकी ई-मेल आई डी कम्पनी/डिपॉजिटरी सहभागी के साथ पंजीकृत नहीं है वह अपना वोट देने के लिए अपनी डीमेट खाता सं./फॉलियो सं. वर्णित करते हुए evoting@nsdl.co.in या एनएसडीएल के टॉल फ्री नं. 1800-222-990 पर अनुरोध भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिए अपना लॉग-ईन आई डी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के लिए सम्पर्क ब्यौरा इस प्रकार है:

नाम : श्री अमित विशाल
पदनाम : वरिष्ठ प्रबंधक
पता : नैशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड
ट्रेड वर्ड: 'ए' विंग/चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउंड,
सेनापति बापत मार्ग, लॉवर परेल, मुम्बई-400013
फोन नं. : 022-24994360, 1800-222-990
ई-मेल आईडी : amitv@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in

14. ई-वोटिंग वेबसाइट से लॉग इन करते समय 5 बार गलत पासवर्ड डालने पर यह निष्क्रिय हो जायेगा। इस मामले में आपको इसे रीसेट करने के लिए साइट पर उपलब्ध विकल्प "forget password" पर जाना होगा।
15. वो सदस्य जिनका ई-मेल आईडी बैंक के शेयर अंतरण एजेंट/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं है या जो प्रथम बार वोटिंग कर रहे हैं वे रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के लिए लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या एनएसडीएल के टॉल फ्री नं. 1800-222-990 पर अपना डीमेट खाता सं./फोलियो संख्या देकर प्राप्त कर सकते हैं। एनएसडीएल द्वारा टेलिफोनिकली या ई-मेल के माध्यम से पासवर्ड को उपलब्ध करा सकते हैं।
16. किसी प्रकार की पूछताछ के मामले में शेयर धारक के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और शेयरधारक के लिए ई-वोटिंग मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध है या टॉल फ्री नं. 1800-222-990 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
17. जिन शेयरधारकों के पास बहु-फॉलियो/डिमेत खाते हैं वे अपने प्रत्येक फोलियो/डिमेत खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया चुन सकेंगे। फिर भी शेयरधारक यह नोट करे कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक का कोई भी शेयरधारक, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, **उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल वोट के अधिकार के 10% से अधिक वोटिंग के अधिकार का हकदार नहीं होगा।**

- vii) कोई व्यक्ति जिसने ईजीएम नोटिस डिस्पेच होने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित किए हैं और कम्पनी का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 24.08.2016 को शेयर धारित करता है evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज कर या बैंक के शेयर अंतरण एजेंट या एनएसडीएल के अधिकारी जिसका वर्णन उपरोक्त पैरा (xiii) दिय हुआ है, से सम्पर्क करके लॉग-ईन और आईडी प्राप्त कर सकता है।
- viii) आप फॉलियो के यूजर प्रोफाइल में अपना मोबाइल नं. और ई-मेल आईडी भी अद्यतन कर सकते हैं। जिसका उपयोग भविष्य में किये जाने वाले पत्राचारों के लिए किया जा सकता है।
- ix) सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि 24.08.2016 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके अनुपात में होंगे।
- x) एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्य या डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी रजिस्टर में दर्ज है केवल वही व्यक्ति मतदान द्वारा असाधारण आम बैठक में वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा।

- (xiii) If a member is already registered with NSDL for e-voting earlier he can use his existing user ID and password/PIN for casting his /her vote. In case password is forgotten he/she can reset the password by using “Forget User Details/Password” option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at toll free number 1800-222-990. The contact details of official for remote e-voting are as follows:
- | | | |
|-------------|---|---|
| Name | - | Mr. Amit Vishal |
| Designation | - | Senior Manager |
| Address | - | NSDL, Trade World, A Wing, Kamala Mills Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013 |
| Phone No | - | 022-24994360, 1800 222 990 |
| Email Id | - | amitv@nsdl.co.in ; evoting@nsdl.co.in |
- (xiv) Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go through ‘Forgot Password’ option available on the site to reset the password.
- (xv) The member(s) whose email ID is not registered with the Bank’s Share Transfer Agent/Depository Participants(s,) or voting for the first time, may obtain a login ID and password for casting his /her vote by remote e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or by contacting NSDL at the toll free no.: 1800-222-990 mentioning their Demat Account No/Folio Number. The password shall be provided by NSDL through telephonic verification or through email.
- (xvi) In case of any query, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll free no. 1800-222-990.
- (xvii) Shareholders holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account. However, shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, **no shareholder other than the Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10.00% of the total shareholding of the Bank.**
- VII. Any person who acquires the shares of the bank and become member of the bank, after dispatch of the notice of EGM and holding shares as on cut-off date i.e. 24.08.2016 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact the official of NSDL mentioned at para (xiii) above.
- VIII. He/ She should also update his/her mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
- IX. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 24.08.2016.
- X. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM.
- XI. Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary (Membership No. F4123, CP No. 6646) of M/s Ashu Gupta & Co. (email ID – agc.scrutinizer@gmail.com) has been appointed as

- xi) सुश्री आशु गुप्ता एंड कंपनी (ई-मेल आईडी agc.scrutinizer@gmail.com) में कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ 4123, सीपी नं. 6646) को बैंक द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ।
- xii) उन सदस्यों को जो असाधारण आम बैठक में उपस्थित है लेकिन रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त कर अपना वोट नहीं किया है को अध्यक्ष संकल्पों पर परिचर्चा की समाप्ति के पश्चात जिस संकल्पों पर वोटिंग किया जाना है पर टैबलेट आधारित इंस्टापोल के माध्यम से वोटिंग की अनुमति देंगे ।
- xiii) संवीक्षक, आम बैठक के दौरान हुई वोटिंग के तुरंत बाद डाले गए वोटों की गिनती करेगा तत्पश्चात दो (2) साक्षियों की उपस्थिति में जो बैंक के नियोजन में न हों, वोट अनब्लॉक करेगा और बैठक के अध्यक्ष को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में डाले गये वोट की यदि कोई हो, की लिखित रिपोर्ट बैठक के अध्यक्ष को ईजीएम की समाप्ति के 48 घंटों के अन्दर प्रस्तुत करेगा तथा अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत एक व्यक्ति, प्रतिहस्ताक्षर करेगा । अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति वोटिंग के परिणामों की घोषणा करेगा ।
- xiv) संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों की घोषणा, बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर और एनएसडीएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति वोटिंग के परिणामों की लिखित में घोषणा के पश्चात स्टॉक एक्सचेंज को तत्काल सूचित कर दिया जाएगा ।

9. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह बैलेट पेपर पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोट के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है । शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर जमा करें । शेयरधारकों के प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास पर प्राक्सी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि यथास्थिति लिखें ।

10. शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/कूपन नहीं बांटे जायेंगे ।

11. वोटिंग अधिकार

- (क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयर धारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 10% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है ।
- (ख) विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसे वोटिंग के सम्बन्ध में उस शेयर का एक मात्र धारक माना जायेगा ।
- (ग) उपर्युक्त के अध्यक्षीन, प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट-ऑफ तिथि अर्थात् 24.08.2016 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा ।

व्याख्यात्मक कथन

सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2009 के अध्यक्षीन यथापेक्षित व्याख्यात्मक कथन एवं प्रकटीकरण

1. अधिमान आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का निर्गम

- क) अधिमान निर्गमों का उद्देश्य – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी सुदृढ़ करने की पहल, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में अपनी धारिता बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

तदनुसार भारत सरकार ने इक्विटी की अधिमान्य आबंटन के तौर पर रु. 2816 करोड़ (रुपये दो हजार आठ सौ सोलह करोड़) भारत सरकार के पक्ष में जारी करने का निर्णय लिया । हालांकि उस राशि का 75% अर्थात् रु.

the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the remote e-voting process as well as electronic voting process in a fair and transparent manner.

- XII. The Chairperson shall, at the Extra ordinary general meeting, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting through tablet based 'Insta Poll', for all those members who are present at the EGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- XIII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in employment of the Bank. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the votes cast to the Chairperson of the meeting not later than forty eight hours of the conclusion of the EGM and the Chairperson or a person authorised by him/her in writing, who shall countersign the same. The Chairperson or the authorised person shall declare the result of the voting forthwith.
- XIV. The Results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.pnbindia.in and on the website of NSDL immediately after declaration of result by the Chairperson or a person authorized by him/her in writing and communicated to the Stock Exchanges also.

9. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**-For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

10. **Shareholders may kindly note that no gifts / gift coupon will be distributed at the meeting.**

11. VOTING RIGHTS

- A. In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended) no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of Ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- B. As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting shall be deemed to be the sole holder thereof.
- C. Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-off Date i.e. 24.08.2016** shall have one vote for each share held by him/her.

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of SEBI (ICDR) Regulations 2009 is as follows:

1. Issue of Equity Shares on preferential basis to GOI

- a) Objects of the Preferential Issue - In an initiative to strengthen the capital adequacy of the Public Sector Banks, the Government of India decided to raise its holding in these Public Sector Banks (PSBs).

2112 करोड़ को तत्काल जारी किया जायेगा तथा शेष 25% को दिसम्बर 2016 या उससे पूर्व कुछ कारोबारी बैचमाक्स प्राप्त करने की बाद जारी किया जायेगा।

भारत सरकार ने सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 76(1) के अनुसरण में निर्धारित रुपये 126.72 के प्रीमियम पर रुपये 2112 करोड़ (रुपये दो हजार एक सौ बारह करोड़ मात्र) तक की कुल राशि के प्रत्येक पूर्ण रूप से भुगतान रु. 2/- प्रति अंकित मूल्य के 16,40,77,066 इक्विटी शेयरों को नकदी आधार पर भारत सरकार के पक्ष में सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों के अधिमान्य निर्गम द्वारा निवेश करने का निर्णय लिया है।

- ख) यह संपूर्ण अधिमान निर्गम भारत सरकार-बैंक के प्रवर्तक द्वारा सब्सक्राइब किया जायेगा। समय समय पर संशोधित सेबी आईसीडीआर के अनुसार अधिमान्य इश्यू के लिए उपरोक्त वर्णित इक्विटी शेयर के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के लिए संबद्ध तिथि 29.07.2016 जो असाधारण आम बैठक की तिथि से 30 दिन पूर्व की है।
- ग) शेयरों के जारी करने से पूर्व और उसके पश्चात् शेयरधारिता का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

क्रम सं.	वर्ग	निर्गम से पहले		निर्गम के पश्चात्	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत
अ	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	121,90,88,455	62.08%	138,31,65,521	65.01%
ब	गैर- प्रवर्तक धारिता	74,45,09,035	37.92%	74,45,09,035	34.99%
	कुल	196,35,97,490	100.00	212,76,74,556	100.00

बैंक का सेबी आईसीडीआर विनियमनों में यथा निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास है।

चूँकि सम्पूर्ण निर्गम भारत सरकार, प्रमुख शेयरधारक और बैंक के प्रवर्तक को अधिमान आधार पर आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।

- घ) भारत सरकार की पूर्व और पश्चात् निर्गम शेयरधारिता निम्नवत् होगी :-

	शेयरों की संख्या	पूंजी का अनुपात
निर्गम पूर्व	121,90,88,455	62.08%
निर्गम-पश्चात्	1,38,31,65,521	65.01%

- ड) बैंक के इक्विटी शेयरों का सूचीयन छः माह से अधिक समय पहले हो चुका है और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों, 2009 के विनियम 76(3) और 78(5) तथा सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 73(1) (एफ) और (जी) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- च) जारी किये जाने वाले और भारत सरकार को आबंटित किये जाने वाले सभी इक्विटी शेयर आबंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध होंगे।
- छ) सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षानुसार जारी किया जा रहा है, निर्गम बैठक में पटल पर रखा जायेगा।
- ज) भारत सरकार द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर डिमैट रूप में हैं और स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीयन करार में विनिर्दिष्टानुसार इक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्त का अनुपालन करता है।

Accordingly Gol has decided to infuse a sum of ₹ 2816 crore (Rupees Two thousand eight hundred sixteen crores) in Punjab National Bank by way of preferential allotment of equity in favour of Government of India. However, 75% of the amount i.e. ₹ 2112 crores shall be released immediately and remaining 25% shall be released only after achieving certain business benchmarks by December 2016 or earlier. Shareholder approval is therefore sought for issue of 16,40,77,066 Equity Shares of ₹ 2/- each fully paid for cash at a premium of ₹ 126.72 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI (ICDR) Regulations, through preferential issue of equity shares in favour of the Gol, as per SEBI guidelines, up to an amount of ₹ 2112 crores.

- b) The entire preferential issue will be subscribed by the Gol – the promoter of the Bank. The relevant date for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations), as amended from time to time, for the determination of price for the issue of the above mentioned Equity Shares shall be 29.07.2016 being the date 30 days prior to the date of Extraordinary General Meeting.
- c) Shareholding pattern before and after the issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (Gol)	121,90,88,455	62.08%	138,31,65,521	65.01%
B	Non – Promoter Holding	74,45,09,035	37.92%	74,45,09,035	34.99%
	Total	196,35,97,490	100.00	212,76,74,556	100.00

The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control.

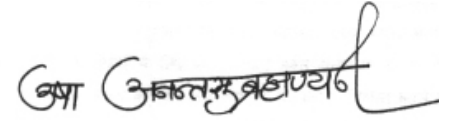
- d) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue	121,90,88,455	62.08%
Post - issue	138,31,65,521	65.01%

- e) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.
- f) All the equity shares to be issued and allotted to the Gol shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.
- g) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Meeting.
- h) All the equity shares held by the Gol are in dematerialized mode and the Bank has complied with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- i) *The issuance of equity shares in favour of Gol shall be subject to SEBI(ICDR) Regulations, 2009 as may be applicable at the relevant time including any amendments thereof.*

- झ) भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयर जारी किये जायेंगे किन्तु उपबन्ध यह है कि सम्बद्ध समय में सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 व संशोधन, यदि कोई है, लागू होगा ।
- ञ) बैंक यह वचन देता है कि वह जारीकर्ता उन विनियमों के प्रावधान के अनुसार प्रतिभूतियों की कीमत के जहां कहीं ऐसा करना आवश्यक होगा री कम्प्यूट करेगा ।
- ट) बैंक यह वचन देता है कि यदि कीमत के री कम्प्यूटेशन के खाते पर भुगतान योग्य राशि इन विनियमों के निर्धारित समयाधि के अंदर नहीं किया जाता है तो प्रतिभूतियां एलाटी द्वारा ऐसी राशि का भुगतान करने तक लॉकड इन रहेंगी ।
- ठ) भारत सरकार संबंधित तिथि से पूर्व छः माह के दौरान बैंक के किसी भी इक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की ।
- ड) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 व सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 की विनियम 72 की शर्तानुसार बैंक के शेयर धारकों का अनुमोदन अभिमान आधार पर शेयरों को जारी एवं आवंटित करने हेतु विशेष संकल्प पारित करने हेतु आवश्यक है ।
- ढ) आपके निदेशकों ने सूचना में दिए गए विशेष संकल्प को पास करने की संस्तुति की है ।
- ण) बैंक के किसी भी निदेशक का संकल्प से कोई संबंध या रुची नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक



(उषा अनंतसुब्रह्मण्यन)

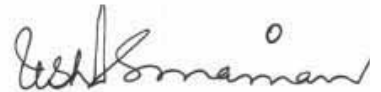
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30.07.2016

- j) *The Bank undertakes that that the issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so;*
- k) *The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked- in till the time such amount is paid by the allottees.*
- l) *The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.*
- m) *In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis.*
- n) Your directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.
- o) None of the Directors of the Bank is concerned or interested in the resolution.

By order of the Board of Directors
for **PUNJAB NATIONAL BANK**



(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place: NEW DELHI
Date: 30-07-2016

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली — 110 607

फार्म—“बी”

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं. (मूर्त शेयरों के लिए)	
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं. (अमूर्त शेयरों के लिए)	
शेयरों की सं.	

मैं/हम.....राज्य..... के जिला
.....का/की/के निवासी..... पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक होने के नाते
एतद्वाराराज्य के.....जिला.....के
निवासी श्री/श्रीमती.....को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर
.....राज्य के जिला.....के निवासी श्री/श्रीमती.....को
बुधवार, दिनांक 31 अगस्त, 2016 समय प्रातः 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में जो **पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडर हिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054** में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगित होने पर मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करती हूँ/करते हैं।



वर्ष 2016 केमास की.....तारीख को हस्ताक्षरित

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर.....

Punjab National Bank

Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No. Client ID No (If Dematerialised)	
No. of Shares	

I/We, _____ resident/s of _____
in the district of _____ in the state of _____
being a shareholder/s of Punjab National Bank, hereby appoint Shri/Smt. _____
resident of _____ in the district of _____ in the
state of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____
_____ resident of _____ in the district
of _____ in the state of _____ as my/our proxy
to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders
of the Bank to be held on **Wednesday, the 31st August, 2016, at 10.00 a.m., at Punjab National
Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi – 110054** and at any
adjournment thereof.

Revenue
Stamp

Signed this _____ day of _____ 2016.

Signature of sole/first holder

Signature of the Proxy _____

प्राक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्राक्सी दस्तावेज़ के वैध होने के लिए

- क) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या विधिवत् लिखित रूप में अधिकृत एटॉर्नी हस्ताक्षर करेगा।
- ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत एटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे।
- ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा सामान्य मोहर, यदि हो, तो लगाकर इन्हें हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप से विधिवत् अधिकृत एटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- घ) फार्म बी में होंगे और विधिवत् रूप से स्ताम्पित होंगे।

2. प्राक्सी दस्तावेज़ जिस पर शेयरधारक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब उसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार बीमा द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो।

3. प्राक्सी जिसके साथ में

क. मुख्तारनामा या प्राधिकार पत्र (यदि हो तो) जिसके अन्तर्गत इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या

ख. उक्त मुख्तारनामे या प्राधिकार पत्र की प्रति जिसे नोटरी या मैजिस्ट्रेट द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास असाधारण आम बैठक की तिथि से 4 दिन पहले अधिकतम **शुक्रवार 26 अगस्त, 2016, सायं 5.00 बजे** तक जमा करवा दिया जाए।

4. यदि संबंधित मुख्तारनामा पंजाब नैशनल बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए।

5. बैंक के पास जमा प्राक्सी दस्तावेज़ अंतिम व अपरिवर्तनीय होगा।

6. पंजाब नैशनल बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वैधानिक रूप से प्राधिकृत या प्राक्सीधारक नियुक्त नहीं किया जा सकता।

7. जिस शेयरधारक ने प्राक्सी का दस्तावेज़ निष्पादित किया हो वह बैठक में उस दस्तावेज़ से सम्बद्ध वोट देने का पात्र नहीं होगा।

8. इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे में प्राक्सी प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।

9. पंजाब नैशनल बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वैधानिक रूप से प्राधिकृत या प्राक्सीधारक नियुक्त नहीं किया जा सकता।

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - c. in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
 - d. shall be in the Form B and duly stamped.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
3. The proxy together with:
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Share Department, Finance Division, Punjab National Bank, Head Office : 5, Sansad Marg, New Delhi – 110 001 not later than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 5.00 p.m. of Friday, the 26th August 2016.**
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास

असाधारण आम बैठक, बुधवार, 31 अगस्त, 2016 समय प्रातः 10.00 बजे

पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054

उपस्थिति पर्ची

(उपस्थिति पंजीकरण के समय लौटा दी जाए)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607

असाधारण आम बैठक, बुधवार, 31 अगस्त, 2016 समय प्रातः 10.00 बजे

प्रवेश पास (बैठक के दौरान अपने पास रखना है)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को बैठक कक्ष में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पास वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा, जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना होगा। मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतपत्र पास वाला हिस्सा आपको लौटाना होगा। किसी भी स्थिति में डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची – सह – प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

PUNJAB NATIONAL BANK
HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, WEDNESDAY, THE 31ST AUGUST, 2016 AT 10.00 A.M.
AT PNB AUDITORIUM, CENTRAL STAFF COLLEGE, 8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-54

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

PUNJAB NATIONAL BANK
HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, WEDNESDAY, THE 31ST AUGUST, 2016 AT 10.00 A.M.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued.